D.D

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225 RTA कल्याण बनाम अशोक व अन्य

2024/112

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री राजेन्द्र सिंह श्री विरेन्द्र सिंह सांगावत	16
09.9.24	पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रा० पत्र हेतु पेश की गई। पत्रावली प्रकरणानुसार वास्ते बहस स्थगन प्रा० पत्र दिनांक 12.9.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
12.9.24	पी. ओ. साहब कैम्प कोर्ट पधारे हैं। पत्रावली प्रकरणानुसार वास्ते बहस प्रा० पत्र स्थगन दिनांक 18/9/24 को पेश हो। नवीन	
18/9/24	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट्स एवं अपीलांट्स उपस्थित नहीं। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1-6 अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट्स व अपीलांट्स को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट्स अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

6/6/24

377 **न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जी, अजमेर**

श्री राजेन्द्र सिंह एड. ने अपील पेश की। अपील ग्राह्यता रिपोर्ट होकर पेश हो

अपील टी.ए. संख्या/12/2024 जिला दूदू

(2024/112)

30/05/2024

30/5/24

1. कल्याण पुत्र गोरधन
2. नैराज पत्नि मेवाराम
3. राजूडी पत्नि चेतन समस्त जाति गुर्जर निवासी श्योपुरा तहसील दूदू जिला दूदू।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र दयालपुरी
2. कैलाशपुरी पुत्र गोविन्दपुरी
3. गोपालपुरी पुत्र हीरापुरी
4. नीर पत्नि दयालपुरी
5. प्रभूपुरी पुत्र हीरापुरी
6. परमापुरी पुत्र हीरापुरी
7. पांचूपुरी पुत्र गोविन्दपुरी
8. मुकेशपुरी पुत्र गिरधारीपुरी
9. मदनपुरी पुत्र गोविन्दपुरी
10. रामस्वरूपपुरी पुत्र गोविन्दपुरी
11. लोकेश कुमार पुत्र गिरधारीपुरी
12. शंकरपुरी पुत्र हीरापुरी
13. सुखदेवपुरी पुत्र हीरापुरी
14. सुप्यार देवी पत्नि गिरधारीपुरी
15. सुमन पुत्री दयालपुरी समस्त जाति गुसाई निवासी श्योपुर तहसीन दूदू जिला दूदू।

16. रामगोपाल पुत्र हनुमान प्रसाद वर्मा जरति बलाई निवासी 7–ए, विकास नगर–सी, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे अजमेर रोड जयपुर।

17. सहायक अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 दूदू।

18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, दूदू तहसील व जिला दूदू।

...... *प्रत्यर्थीगण*

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला दूदू दिनांक 23.05.2024 जो प्रार्थना पत्र संख्या 16/2024 में पारित किया गया।

मान्यवर जी,

अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करते है कि :–

(अ) यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद वास्ते तरमीम दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला अजमेर के न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी कि खातेदारी कि आराजियात खसरा संख्या 732 एवं प्रतिवादीगण संख्या 16 कि आराजियात खसरा संख्या 720, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/861 तथा प्रतिवादी संख्या 16 कि आराजियात खसरा संख्या 721, 722 है जिनमे वर्तमान मे बने नक्शे मे त्रुटी कारित करते हुए सभी खातेदारो का स्थान पुर्व नक्शे के विपरीत जाकर परीवर्तित कर दिया गया जिससे अपीलाण्ट कि खातेदारी के हिस्से का रकबा नक्शे मे कम हो गया तथा अपीलाण्ट के आराजी के स्थान पर खसरा संख्या 732/861 शामिल हो गया इसप्रकार खातेदारी मे एंव जमाबंदी मे कोई परीवर्तन नही हुआ परन्तु नक्शे मे त्रुटी हो जाने से अपीलाण्ट को खेत का भाग जिसमे बोरींग एंव विधुत कनेक्शन